रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032022-233786
CG-DL-E-02032022-233786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 860]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 28, 2022/ फाल्गुन 9, 1943
No. 860]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 28, 2022/PHALGUNA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2022

का.आ. 890(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के उमरखेड एवंम महागांव तालुके मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 कि.मी. 207.200 से कि.मी. 262.600 तक के भूखण्ड (वर्धा-यवतमाल–वारंगाफाटासेक्शन) के निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उपविभागीय अधिकारी तथा भूमि अर्जन अधिकारी, उमरखेड को लिखित रूप मे कीया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा । इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 361 के कि.मी. 207.200 से कि.मी. 262.600 तक (वर्धा-यवतमाल-वारंगाफाटा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र	जिले का नाम: यवतमाळ				
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: महागाव					
गांव का नाम: मुडाणा					
1	2271	निजी	कृषि	0.0942000(हेक्टेयर)	0.0942000
2	29	निजी	कृषि	0.1200000(हेक्टेयर)	0.1200000
तालुक का नाम: उमरखेड़					
गांव का नाम: उमरखेड					
1	17/2 C	निजी	कृषि	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
			कुल	**0.2642**	**0.2642**

[फा. सं. NHAI/PIU/Yavatmal/LA/NH-361/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2022

S.O. 890(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 361 in the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 262.600 (Wardha-Yavatmal-Warangaphata Section) in Taluka Umerkhed& Mahagaon District Yavatmal in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer, & Land Acquisition Officer, Umerkhed in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner,

and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 207.200 to Km. 262.600 (Wardha-Yavatmal-Warangaphata Section) National Highway No. 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: YAVATMAL					
Sl. No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Mahagaon					
Village: Mudana					
1	227	Private	Agricultural	0.0942000(Hectare)	0.0942000
2	29	Private	Agricultural	0.1200000(Hectare)	0.1200000
Taluk: Umerkhed					
Village: Umarkhed					
1	17/2 C	Private	Agricultural	0.0500000(Hectare)	0.0500000
			Total	**0.2642**	**0.2642**

[F. No. NHAI/PIU/Yavatmal/LA/NH-361/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.03.02 16:03:29 +05'30'